न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/493

बद्रीलाल आत्मज पोखरलाल जाति गुर्जर उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम सिसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2002 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी तहसीलदार, नैनवा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 का प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी बद्रीलाल आत्मज पोखर जाति गुर्जर निवासी सीसोला तहसील नैनवा को दिनांक 07.07.99 को ग्राम बडी पडाप तहसील नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 1056 की रकबा 7.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया । आवंटी बाहर का निवासी है ग्राम पंचायत रजलावता में निवासी नहीं करता है । इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.04.2002 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2002 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.09.2015 को हल्का पटवारी द्वारा मुआवजा राशि के लिए सम्पर्क करने पर बताया जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने आवंटन फार्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है अपीलान्ट आवंटी ने अपना निवास सिसोला गॉव बताया है । पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटी उसी गॉव का है और भूमिहीन काश्तकार है । उक्त भूमि के आवंटन बाबत् अपीलान्ट ने ही फार्म भरा था किसी अन्य ने आवंटन फार्म नहीं भरा । आवंटन बाबत् किसी अन्य व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की है । आवंटी अपीलान्ट पर अधिक भूमि होने, कोई तथ्य छुपाने या आवंटन नियमों का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है । अपीलान्ट के पास उक्त भूमि पर काश्त के अलावा अन्य आय का कोई स्त्रोत नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.04.2002 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार विधिक त्रुटि नहीं की है । आवंटी बाहर का निवासी है और पंचायत क्षेत्र रजलावता में नहीं रहता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया । अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । अपीलान्ट बाहर का निवासी नहीं है । अपीलान्ट ने किसी भी तथ्य को छुपाये बिना उक्त आवंटन करवाया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । इस प्रकार अपीलान्ट के कथनों को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2002 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा